

2019/00468

राजस्थान - सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा

क्रमांक:न्यायालय/न्यायशुल्क रिफण्ड/2019/ 7082

दिनांक- 16/12/2019

:: आदेश ::

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 03 भीलवाड़ा शिविर माण्डलगढ द्वारा प्रकरण सं. 04/2017 में निर्णय पारित करते हुए यह आदेश दिया है कि वादीया श्रीमती मीनाक्षी विजयवर्गीय पत्नी विशाल विजयवर्गीय निवासी बिजौलिया हाल 154, तिलक नगर, इन्दौर जिला इन्दौर (मध्य प्रदेश) न्यायशुल्क राशि वापस प्राप्त करने के अधिकारी है और आदेशानुसार प्रकरण में रूपया 1,10,625/- अक्षरे एक लाख दस हजार छः सौ पच्चीस रूपये मात्र न्याय शुल्क लौटाये जाने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

अतः न्यायालय आदेशानुसार वादीया श्रीमती मीनाक्षी विजयवर्गीय पत्नी विशाल विजयवर्गीय निवासी बिजौलिया हाल 154, तिलक नगर, इन्दौर जिला इन्दौर (मध्य प्रदेश) को 1,10,625/- अक्षरे एक लाख दस हजार छः सौ पच्चीस रूपये मद 0030 में वापिस करने (रिफण्ड) की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

~~जिला कलक्टर
भीलवाड़ा~~

प्रतिलिपि:-

- 1 न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 03 भीलवाड़ा शिविर माण्डलगढ को उनके पत्र क्रमांक 268 दिनांक 10.07.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 2 प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि वादी को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने की कार्यवाही करें एवं संलग्न प्रपत्र पार्ट तृतीय की पूर्ति की जाकर सम्बन्धित न्यायालय में भिजावें।
- 3 कोषाधिकारी भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख हैं कि वादी द्वारा स्टाम्प की जमा राशि के चालान की प्रति चाहे जाने पर उपलब्ध करावें।
- 4 वादीया श्रीमती मीनाक्षी विजयवर्गीय पत्नी विशाल विजयवर्गीय निवासी बिजौलिया हाल 154, तिलक नगर, इन्दौर जिला इन्दौर (मध्य प्रदेश) को प्रेषित कर लेख है कि जमा राशी चालान की फोटोप्रति, बैंक खाता नम्बर, पैन नम्बर, आधार नम्बर की फोटोप्रति एवं मोबाईल नं. लेखा शाखा में प्रस्तुत करें।

-sd-
प्रभारी अधिकारी
न्यायालय अनुभाग